बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0– /2022

इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा में सत्र 2022–24 में विधिवत् नामांकित नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र–छात्राओं का दिनांक 30.12.2022 तक ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने हेतु अवधि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट/+2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 214/2022 एवं पी0आर0 233/2022 के क्रम में सूचित किया जाता है कि **इन्टरमीडिएट परीक्षा सत्र 2022–2024** में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्रा के लिए राज्य के +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों में 11वीं कक्षा में विधिवत् नामांकित नियमित कोटि के तथा कला एवं वाणिज्य संकाय में स्वतंत्र कोटि के छात्र–छात्राओं का संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से **दिनांक 01.12.2022 से 15.12.2022 तक** ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने हेतु अवधि विस्तार किया गया था।

2. **छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सूचीकरण आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने हेतु दिनांक 30.12.2022 तक अवधि विस्तार किया जाता है। +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान सूचीकरण से वंचित छात्र/छात्रा का उक्त विस्तारित अवधि तक ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भर सकते हैं एवं शुल्क जमा कर सकते हैं।**

3. जिन छात्र/छात्रा का शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा **दिनांक 15.12.2022** तक ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरा गया है, परन्तु चालान नहीं निकल पाने अथवा अन्य किसी कारण वश शुल्क नहीं जमा कर सकें हों, तो **दिनांक 30.12.2022** तक शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके लिए समिति का पोर्टल seniorsecondary.biharboardonline.com खुला रहेगा।

4. कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा OFSS के माध्यम से तथा OFSS से विमुक्त अर्थात दोनों प्रकार के नामांकित छात्र/छात्रा का एक ही सूचीकरण आवेदन प्रपत्र (जो OFSS से विमुक्त छात्र/छात्रा के लिए मान्य है) भरे जाने की सूचना अभी भी प्राप्त हो रही है, जो वांछनीय नहीं है। इस संबंध में विज्ञप्ति संख्या पी0 आर0–220/2022 एवं पी0आर0 233/2022 के द्वारा भी संसूचित किया गया है कि OFSS के माध्यम से तथा OFSS से विमुक्त रूप से नामांकित विधार्थी के लिए दो अलग–अलग सूचीकरण आवेदन प्रपत्र समिति के वेबसाईट पर अपलोड है, जिसका उपयोग किया जाना है :–

(i) OFSS के माध्यम से विधिवत् नामांकित नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड है, उसमें खण्ड 'A' एवं खण्ड 'B' है। खण्ड 'A' में क्रमांक 1 से 17 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़–छाड़/परिवर्तन नहीं किया जाना है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड 'B' में क्रमांक 18 से 34 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।

(ii) OFSS से विमुक्त संस्थानों के विधिवत् नामांकित नियमित एवं सभी संस्थानों के स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड है, उसमें विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से सभी विवरणों को भरा जाना है।

5. उक्त के संबंध में पुनः स्मारित करना है कि उपर्युक्त कंडिका–4 (i) में OFSS के माध्यम से आच्छादित विधार्थी के लिए तथा कंडिका–4 (ii) में OFSS से विमुक्त विधार्थी के लिए निर्धारित सूचीकरण आवेदन प्रपत्र का ही उपयोग किया जाए। अन्यथा गलत रूप से भरे गये सूचीकरण आवेदन को अमान्य कर दिया जाएगा। इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के लिए शिक्षण संस्थान के प्रधान जिम्मेवार होंगे।

6. विज्ञप्ति संख्या पी0 आर0 214/2022 की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

7. अतः शिक्षण संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि प्राथमिकता देते हुए सत्र–2022–2024 के सही अभ्यर्थित्व वाले विधार्थी का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करवानें की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

8. **कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सूचीकरण आवेदन भराते समय कोविड–19 के S.O.P (Standard Operating Procedure) तथा कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए।**

9. ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नं0–0612–2230039 अथवा E-mail Id: reg.bsebhelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक :–BSEB(SS)/ KEN/1156/2022 पटना, दिनांक :–15/12/2022